न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 64 / 2022(2022 / 228)

1. श्री कैलाश पुत्र श्री नारायण जाति ब्राह्मण निवासी मेवदाकला तहसील केकडी जिला अजमेर।

——प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. श्री बलराम पुत्र श्री भीखालाल जाखड़ा जाट।
2. श्री प्रहलाद पुत्र श्री बदी गुर्जर जाति गुर्जर।
3. श्री राजू पुत्र श्री जगदीश गुर्जर जाति गुर्जर।
4. श्री नारायण पुत्र रतन छीपा जाति गुर्जर।
5. श्री चन्दा पुत्र नारायण रेगर जाति रेगर।
6. श्री रमेशचन्द पुत्र इन्दरचन्द जैन जाति रेगर।
7. श्री विष्णु कुमार पुत्र रामधन खाती जाति खाती।
8. श्री सावल पुत्र मांगीलाल खाती जाति खाती समस्त निवासीगण मेवदाकला तहसील केकडी जिला अजमेर।
9. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील केकडी

—— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः—
प्रार्थी वकील :— श्री हनुमान प्रसाद शर्मा
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 28.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम मेवदाकलां तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2069—72 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
939—824	1294	0.28	नहरी 2
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.28	

उपरोक्त आराजी प्रार्थि की खातेदारी की अराजीयत है तथा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की अराजी है आराजी प्रार्थि के संयुक्त कब्जे, स्वामित्व व आधिपत्य मे चली आ रही है प्रार्थि की उक्त आराजी के सीमा चिन्ह खुर्दबुर्द हो गये तथा पडोसियों से आये दिन कब्जे काश्त में लड़ाई झगडे होते है। क्योंकि उक्त आरजी पर अप्रार्थीगण अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है साथ ही प्रार्थि को अपने हिस्से की आराजीयात पर फसल सुरक्षार्थ तारबन्दी करवानी है इसलिये प्रार्थि द्वारा पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है प्रार्थि को उपरोक्त आरजी की नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। जिससे मौके पर पुख्ता निशान कायम किये जा सके। ताकि आये दिन प्रार्थि को

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण से विवाद नही करना पडे एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण बना रहे तथा बहुवाद कार्यवाहियो मे उलझना नही पडे, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थि को आराजीयात में आवश्यक कार्य करने गयी तो पडोसियो ने सीमा चिन्ह नही होने से धमकी दी कि यहां तक हमारा खेत है तथा उक्त सीमा चिन्हों के अभाव में हमारे खेत में ईकाई बुवाई भी नही करने दी जिससे उक्त प्राथना पत्र पेश करना लाजमी आया है। प्रार्थि ने पूर्व में भी आराजीयात का सीमा ज्ञान करने हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 6.5.2022 को उपस्थित खातेदारान व अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण नही मान रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त आराजी पर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 9 जरिये पैरोकार सरकार जवाब टिप्पणी अंकित कर बताया कि संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपी अनुसार प्रा.पत्र में अंकित भूमि खातेदारी में दर्ज है। राजहित प्रभावित नही है। पक्षकारान की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम मेवदाकलां तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–76 के खाता संख्या नया पुराना 939–824 के खसरा संख्या 1294 रकबा 0.28 किस्म नहरी 2 की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with CamScanner